मु0न0 20/25 रईस अहमद बनाम तहसीलदार टोडाभीम

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 19/2025 तारीख रजू :– 12.09.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस

रईस अहमद पुत्र श्री अनवार अहमद आयु 71 साल जाति सैयद मुसलमान निवासी काजीपाडा टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान

– वादी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम तहसील टोडाभीम

– प्रतिवादी

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1 श्री जाकिर खान एडवोकेट वादी
2.पैराकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक :– 13.1.26

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 554 में खसरा नम्बर 1342, 1343, 1344, 1444, 1494, 1539, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1606, 1629, 1638, 1639, 1641, 1868, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1941, 1957, 1958, 1959, 2005 कुल किता 31 कुल रकबा 13.4800 है0 एवं भूमि खाता संख्या 555 में खसरा नम्बर 1541, 1550 कुल किता 02 कुल रकबा 0.22 है0 स्थित ग्राम 11 विस्वा टोडाभीम जिसमें वादी 1/64 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के जमाबंदी में दर्ज सहखातेदार काश्तकार है। वाद पत्र में दर्ज आराजी पर वादी का अन्य सहखातेदारों से कोई विवाद किसी भी प्रकार का नहीं है। कि वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी के नाम नामांतरकरण खोलते समय तहसील कर्मचारियों ने गफलत व लापरवाही से वादी के सही नाम रईस अहमद के स्थान पर वादी के बोलते हुए नाम रहीस अहमद दर्ज कर दिया है। जो गलत इन्द्राज किया है। वादी की सही नाम रईस अहमद पुत्र अनवार अहमद है। वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, बैंक खातें, पेनकार्ड आदि में वादी का नाम रईस अहमद दर्ज है। जो पूरी तरह से सही व सत्य है।

यह है कि वादी की भूमि सरकार ने हाईवे रोड बनाने हेतु अवाप्त कर ली थी। जिसका मुआवजा वादी को मिलना है। वादी ने मुआवजा लेने हेतु अपनी जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

निकलवाई कतब जाकर वादी को अपने नाम में हुई गलती के इन्द्राज का पता चला। वादी अपने नाम में हुए गलत इन्द्राज का पता चलते ही दिनांक 15.09.2025 को टोडाभीम में गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में नाम में हुई गलती को दुरूस्त करवाने का तहसीलदार जी से निवेदन किया। प्रतिवादी ने दुरूस्त करने से मना कर दिया और न्यायालय से आदेश कराने को कहा।

विनायदावा दिनांक 15.09.2025 को तहसीलदार टोडाभीम द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हुए गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना करने तथा न्यायालय से आदेश कराने की कहने से तहसील टोडाभीम में उत्पन्न हुआ।

यह है कि दावा वादी इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम 11 विस्वा टोडाभीम में आराजीयात खाता संख्या 554, 555 में वर्णित मुतजिक्रा वादपत्र में वादी का नाम **रहीस अहमद** को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम **रईस अहमद** दर्ज किया जावे। इसी अनुरूप सभी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी (तहसीलदार टोडाभीम) को जरिये सम्मन तलब किया गया है पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार ने जबाव पेश किया कि ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 555 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0 कुल रकबा 0.22 है0 व खाता संख्या 554 कुल किता 31 कुल रकबा 13.48 है0 में वादी का नाम रहीस अहमद पुत्र अनवर अहमद हि0 1/64 जाति मुसलमान सा0देह दर्ज रिकार्ड है। ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा में विरासत नामान्तकरण संख्या 1135 दिनांक 270.3.2012 से अनवार अहमद पुत्र हसन अली हि0 1/8 बहक रहीश अहमद, अनीश अहमद, शहिद अहमद, जाहिद अली, जाविद अली साबिर अली पि0 अनवार अहमद साफिया बेगम अकबाल फातमा पत्नि अनवार अहमद के नाम नामान्तकरण स्वीकार हुआ। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में नाम रईस अहमद पुत्र अनवर अहमद अंकित है। रहीश अहमद पुत्र अनवार अहमद व रईस अहमद पुत्र अनवार अहमद एक ही व्यक्ति है।

वादी वकील व पैराकार सरकार की बहस सुनी गई वादी वकील द्वारा दौराने बहस बताया कि खाता संख्या 554 में खसरा नम्बर 1342, 1343, 1344, 1444, 1494, 1539, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1606, 1629, 1638, 1639, 1641, 1868, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1941, 1957, 1958, 1959, 2005 कुल किता 31 कुल रकबा 13.4800 है0 एवं भूमि खाता संख्या 555 में खसरा नम्बर 1541, 1550 कुल किता 02 कुल रकबा 0.22 है0 स्थित ग्राम 11 विस्वा टोडाभीम जिसमें वादी 1/64 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। वादी का नाम रहीस अहमद को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम रईस अहमद दर्ज किया जावें। पैराकार सरकार द्वारा बहस में बताया कि ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा की जमाबंदी के खाता संख्या 554 व 555 में वादी का नाम रहीस अहमद पुत्र अनवार अहमद है। वादी रईस अहमद पुत्र

उपखण्ड अधिकारी ... सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

अनवार अहमद का नाम राजस्व रिकार्ड में साबिक नामान्तकरण सख्या 1135 दिनांक 27.03.2012 से स्वीकार हुआ है दस्तावेज एवं फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार **रहीश अहमद पुत्र अनवार अहमद व** रईस अहमद पुत्र अनवार अहमद एक ही व्यक्ति है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमावंदी सम्वत 2076–79 में ग्राम 11 विस्वा खाता संख्या 555 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0 व खाता संख्या 554 कुल किता 31 कुल रकबा 13.48 है0 में वादी का नाम रहीस अहमद दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट अनुसार **रहीस अहमद पुत्र अनवार अहमद व रईस अहमद पुत्र अनवार** अहमद एक ही व्यक्ति का नाम है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः जमावंदी सम्वत 2076–79 में ग्राम 11 विस्वा खाता संख्या 555 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0 व खाता संख्या 554 कुल किता 31 कुल रकबा 13.48 है0 में वादी का नाम **रहीस अहमद पुत्र अनवार अहमद के स्थान पर रईस अहमद पुत्र अनवार अहमद** अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाया जावें। आदेश पेश किये गए दस्तवेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा जिसकी जिम्मेदारी वादी स्वंय की होगी।

यह निर्णय दिनांक 13.01.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली